

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

प्रश्न सं. [क-2337]



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भांपाल, बुधवार, दिनांक 4 जनवरी 2012--पौष 14, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भांपाल

भांपाल, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्र. एफ. 2-1-2008-एक-13.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में निम्न संशोधन करती है :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में नियम-3(3) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए अर्थात् :—

“सम्मान निधि का लाभ जिला मजिस्ट्रेट/मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के दिनांक से दिया जावेगा”.

2. उक्त नियमों में नियम-4 में निम्नानुसार संशोधन एवं प्रावधान जोड़ा जाए अर्थात् :—

4.1 “जहाँ जेल, पुलिस थाना तथा जिला मजिस्ट्रेट का निरूद्ध संबंधी शासकीय रिकार्ड उपलब्ध नहीं है केवल उन्हीं प्रकरणों में आवेदक के साथ जेल में निरूद्ध रहे किन्हीं दो मीसा/डी.आई.आर. के अर्धन राजनैतिक एवं सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्तियों के शपथ-पत्र/प्रमाणीकरण को मान्यता दी जाएगी. शपथ-पत्र में प्रमाणीकरणकर्ता द्वारा घोषणा की जावेगी कि वे व्यक्तिगत ज्ञान एवं स्मृति के आधार पर यह प्रमाणीकरण कर रहे हैं इस प्रमाणीकरण के असत्य होने के वैधानिक परिणामों से वे अवगत हैं.”

4.2 “यदि जेल में जाने या छूटने का एक रिकार्ड उपलब्ध है और जेल प्रमाणित करता है कि शेष रिकार्ड जेल में उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में कम से कम एक माह का विरोध माना जा कर तदनुसार सम्मान निधि स्वीकृत की जा सकेगी. इन प्रकरणों में निरूद्ध होने की पुष्टि करने हेतु दो अन्य निरूद्ध व्यक्तियों के प्रमाणीकरण की शर्त लागू नहीं होगी.”

3. उक्त नियमों में नियम 5(1) प्रवधानित सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी करते हुए निम्नानुसार नियम 5(1) प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-

"एसे व्यक्ति जो मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक एवं सामाजिक कारणों से एक माह या एक माह से अधिक किन्तु छः माह तक की अवधि के लिये निरूद्ध रहे हो, उन्हें रुपये 10,000/- प्रतिमाह तथा ऐसे व्यक्ति जो छः माह से अधिक की कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों उन्हें रुपये 15,000/- प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की पात्रता होगी।"

4. उक्त नियमों में नियम 5(2) के साथ नवीन नियम 5(3) जोड़ा जाए अर्थात् :-

"जिन प्रकरणों में मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक एवं सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके मृत्यु पूर्व सम्मान निधि स्वीकृत नहीं हुई है ऐसे प्रकरणों में उनके/उनकी पति या पतिन को आवेदन करने पर नियम (5-1) में वर्णित सम्मान निधि की कुल राशि का आधा (1/2) राशि पत्नी की पात्रता होगी।"

5. उक्त नियमों में नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-

"इन नियमों के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन होने के दिनांक से दिनांक 31 मार्च 2012 तक पात्र व्यक्तियों को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।"

6. सम्मान निधि में बढ़ोतरी का लाभ अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्राप्त हुआ समझा जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीणा घाणेकर, सचिव